



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक : प.3.(26) / मसूबूवि / अकाद-II / 2024 / 3731

दिनांक : 22/01/2025

सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश (2024-25)

प्राचार्य / सचिव,
श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.)
कुम्हेर, भरतपुर राजस्थान- 321201

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में निम्नांकित शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता आवेदन पर विचार किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में सत्र 2024-25 की राज्य सरकार की NOC जारी होने के आधार पर एवं निरीक्षण दल द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित कमियों की आप द्वारा शपथ पत्र में बयान समयावधि में आक्षेपपूर्ति किए जाने की शर्त पर सत्र 2024-25 हेतु बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड स्तर पर नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि की जा रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का विवरण

1 क्र.स.	2 कोड	3 महाविद्यालय नाम	4 संकाय	5 आवेदित सीट	6 टिप्पणी
1.	166	श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस. आर.एस.) कुम्हेर, खसरा नं. 2152/4795, 2153, 2152/4796 अधैया रोड, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर, राजस्थान-321201	बी.ए. बी.एड./बी. एससी.बी.एड	100	1. शैक्षणिक स्टाफ को माहवार वेतन भुगतान की बैंक स्टेटमेंट की प्रति जमा करावें। 2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करावें। 3. महाविद्यालय के भवन की विडियोग्राफी कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता-निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

नोट:- आपके द्वारा जमा कराये गए गैर-न्यायिक शपथ पत्र के अनुसार आदिनांक तक आरोपित समस्त सत्रों की जीएसटी उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा कराये जाने हेतु जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

क्रमांक : प.3.(26) / मसूबूवि / अकाद-II / 2024 / 3731-37

दिनांक : 22/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी, अकादमिक-I शाखा।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. लेखा शाखा/अकादमिक शाखा विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव





महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

कमांक : प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद-II/2024/3724

दिनांक : 22/01/2025

सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश (2024-25)

प्राचार्य/सचिव,

श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.)

कुम्हेर, भरतपुर राजस्थान- 321201

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में निम्नांकित शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता आवेदन पर विचार किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में सत्र 2024-25 की राज्य सरकार की NOC जारी होने के आधार पर एवं निरीक्षण दल द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित कमियों की आप द्वारा शपथ पत्र में बयान समयावधि में आक्षेपपूर्ति किए जाने की शर्त पर सत्र 2024-25 हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में सशर्त अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि की जा रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का विवरण

1	2	3	4	5	6
क्र. स.	कोड	महाविद्यालय नाम	संकाय	आवेदित सीट	टिप्पणी
1.	166	श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.) कुम्हेर, खसरा नं. 2152/4795, 2153, 2152/4796 अधैया रोड, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर, राजस्थान-321201	स्नातक कला संकाय – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र स्नातक विज्ञान संकाय – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र स्नातकोत्तर स्तर पर – भूगोल हिन्दी राजनीतिक विज्ञान	480 240 40 प्रति	1. शैक्षणिक स्टाफ को माहवार वेतन भुगतान की बैंक स्टेटमेंट की प्रति जमा करावें। 2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करावें। 3. महाविद्यालय के भवन की विडियोग्राफी कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता-निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

नोट:- आपके द्वारा जमा कराये गए गैर-न्यायिक शपथ पत्र के अनुसार आदिनांक तक आरोपित समस्त सत्रों की जीएसटी उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा कराये जाने हेतु जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव



दिनांक : 22/01/2025

क्रमांक : प.3.(26)/मसूबुवि/अकाद-II/2024/3724-30
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी, अकादमिक-I शाखा।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. लेखा शाखा/अकादमिक शाखा विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव